श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय तेल निगम लिमिटेड का मार्किटिंग और रिफाइनरी पाइपलाइन डिवीजन अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत आते हैं और उनमे दैनिक मजदूरी आधार पर तीन कर्मचारी तथा मासिक वेतन आधार पर 10,589 कर्मचारी नियोजित है। फरीदाबाद का भारतीय तेल निगम का अनुसधान और विकास विंग भी जो एक पृथक अस्तित्व है, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत आता है और इसमे 270 कर्मचारी नियोजित है। भारतीय तेल निगम की यूनिटों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की परिधि से छूट प्राप्त है।

वैज्ञानिकों, डाक्टरों तथा इंजीनियरों द्वारा आत्म हत्यायें

513. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने वैज्ञानिको, डाक्टरों तथा इंजीनियरों ने आत्म-हत्यायें की और इसके क्या कारण थे,

(ख) क्या यह सच है कि कुछ ने इसलिये आत्म-हत्यायें की क्योंकि वे अपने विभागों के अधिकारियों के बर्ताव तथा भविष्य मे पदोन्नति के अवसरों की निराशाजनक स्थिति से उकताये हुए थे ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और उसके प्राप्त होने पर एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

Pension and gratuity of personnel of former Suket State

514. **PROF. NARAIN CHAND PARASHAR**: Will the Minister of DEFENCE be plesed to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4940 on the 25th March, 1981 regarding pension and Gratuity of personnel of former Suket State and state:

(a) whether ex-soldiers of the erstwhile State Forces were discharged after the merger of the States in the Indian Union;

(b) the date on which this I.S.F. units became part of the Indian Army;

(c) the date on which these soldiers were discharged; and

(d) whether it is realised that the I.S.F. unit merged in the Indian Army and as such its assets and liabilities are those of the Central Government and not of the successor State Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) Personnel of ISF Units of the erstwhile State Forces, who opted for absorption and were found suitable, were absorbed in the Indian Army and were discharged subsequently as per the Indian Army rules. Those who were found unsuitable as well as those who were not willing for absorption, were discharged immediately.

(b) The I.S.F. Units of the Suket State Forces were merged with the Indian Army with effect from 1st April 1949.

(c) Those who were absorbed in the Indian Army were discharged on completion of their terms and conditions of service under the Indian Army rules, while those who were not absorbed where discharged immediately.

(d) Yes, Sir.